

नम्बर व
अहकाम
की तारीख
जारी हुए

75/2013

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
जारी हुए

12.7.19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रकरण लम्बे समय से प्रतिवादी की तलबी में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है। कि वकील वादी वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। और न ही न्यायालय के आदेशों की पालना की जा रही है। ऐसी सूरत में वादी के वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

लिहाजा वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कमिश्नर
(SDO) सिवामा

